PRAMOD TREDIYA प्रमोद तरेड़िया

Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh & District Courts, Narnaul
अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल

Enrolment No. P/115/2005 ♦ Former Municipal Councillor, Narnaul
Member, Punjab & Haryana High Court Bar Association, Chandigarh (Membership No. 14684)
Chamber: Chamber No. 70A, Lawyers' New Chambers Complex, 1st Floor, District Court, Narnaul – 123001 (Haryana)
Mobile: +91 94672 61222 | +91 70156 13599 **Email:** pramodtrediya@gmail.com

Ref. No. PT/2026/031-B **Dated** 24.10.2026

ई-मेल द्वारा

सेवा में,
माननीय कुलपति महोदय/महोदया

विषय: घरेलू उपयोग हेतु न्यूनतम पानी एवं बिजली को मौलिक अधिकार बनाने (प्रस्तावित अनुच्छेद 21-ख) के विषय पर विश्वविद्यालय में परिचर्चा आयोजित करने तथा निवेदन को माननीय कुलाधिपति/विज़िटर महोदय तक अग्रेषित करने हेतु अनुरोध

माननीय कुलपति महोदय/महोदया,

मैंने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सांसदों तथा सभी मुख्यमंत्रियों को निवेदन भेजकर माँग की है कि संविधान में नया अनुच्छेद 21-ख जोड़कर घरेलू उपयोग हेतु न्यूनतम (जीवन-रेखा) मात्रा में सुरक्षित पेयजल और बिजली को नागरिकों का मौलिक अधिकार तथा राज्य का दायित्व घोषित किया जाए। प्रस्ताव का सार इस प्रकार है:

1. प्रत्येक नागरिक को घरेलू उपयोग हेतु विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित पेयजल और बिजली प्राप्त करने का अधिकार हो;
2. राज्य इस न्यूनतम मात्रा की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे और इसे सभी परिस्थितियों में अनिवार्य सेवा के रूप में बनाए रखे;
3. इससे अधिक उपभोग तथा व्यावसायिक, औद्योगिक या अन्य गैर-घरेलू उपयोग पर शुल्क लगाने का राज्य का अधिकार पहले की तरह बना रहे।

व्यापक दृष्टि से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और संचार – ये सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार होने चाहिए, और इसकी शुरुआत पानी और बिजली से हो।

विश्वविद्यालय ज्ञान, शोध और स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र हैं, और देश का युवा वर्ग ही भविष्य की नीतियों को दिशा देगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि:

1. विश्वविद्यालय में, विशेषकर विधि, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभागों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच, इस विषय पर परिचर्चा, वाद-विवाद, संगोष्ठी अथवा मॉडल संसद का आयोजन कराने की कृपा करें;
2. यह निवेदन अपने माध्यम से विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति/विज़िटर महोदय/महोदया के अवलोकन हेतु अग्रेषित करने की कृपा करें; तथा
3. यदि उचित समझें, तो परिचर्चा के निष्कर्ष एवं सुझाव ई-मेल pramodtrediya@gmail.com पर भेजने की कृपा करें।

यह विषय किसी दल या विचारधारा से नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के सम्मानपूर्ण जीवन से जुड़ा है। आपके सहयोग के लिए मैं आभारी रहूँगा।

सादर, भवदीय,

प्रमोद तरेड़िया
अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल
पूर्व नगर पार्षद, नारनौल | नामांकन संख्या P/115/2005
मोबाइल: +91 94672 61222, +91 70156 13599

संलग्न: (1) निवेदन-पत्र (हिंदी एवं अंग्रेज़ी), संदर्भ PT/2026/031 दिनांक 24.10.2026; (2) प्रेस विज्ञप्ति (हिंदी)।

PRAMOD TREDIYA प्रमोद तरेड़िया

Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh & District Courts, Narnaul
अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल

Enrolment No. P/115/2005 ♦ Former Municipal Councillor, Narnaul
Member, Punjab & Haryana High Court Bar Association, Chandigarh (Membership No. 14684)
Chamber: Chamber No. 70A, Lawyers' New Chambers Complex, 1st Floor, District Court, Narnaul – 123001 (Haryana)
Mobile: +91 94672 61222 | +91 70156 13599 **Email:** pramodtrediya@gmail.com

Ref. No. PT/2026/031-B **Dated** 24.10.2026

By email

To
The Hon'ble Vice Chancellor

Subject: Request to organise a discussion in the University on making a minimum domestic quantity of water and electricity a Fundamental Right (proposed Article 21B), and to forward the representation to the Hon'ble Chancellor/Visitor

Respected Vice Chancellor,

I have submitted a representation to the Hon'ble President, the Prime Minister, all Members of Parliament and all Chief Ministers, seeking the insertion of a new Article 21B in the Constitution to declare access to a minimum (lifeline) quantity of safe drinking water and electricity for domestic use a Fundamental Right of every citizen and a duty of the State. In brief, the proposal is that:

1. every citizen shall have the right to receive, for domestic use, such minimum quantity of safe drinking water and electricity as the State may by law determine;
2. the State shall ensure regular and uninterrupted supply of this minimum quantity and maintain it as an essential service in all circumstances; and
3. the State's power to levy charges on consumption above this quantity and on commercial, industrial or other non-domestic use shall remain as before.

In the larger view, electricity, water, roads, education, healthcare and communication should all be fundamental rights of citizens, beginning with water and electricity.

Universities are centres of knowledge, research and healthy democratic debate, and it is our young people who will shape the policies of tomorrow. I therefore humbly request you:

1. to kindly organise a discussion, debate, seminar or model parliament on this subject in the University, particularly among students and teachers of Law, Political Science, Economics and Public Administration;
2. to kindly forward this representation through your good office to the Hon'ble Chancellor/Visitor of the University for consideration; and
3. if you deem fit, to share the conclusions and suggestions of the discussion at pramodtrediya@gmail.com.

This subject belongs to no party or ideology; it concerns the dignified life of every family. I shall be grateful for your kind support.

Yours faithfully,

Pramod Trediya
Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh and District Court(s), Narnaul
Former Municipal Councillor, Narnaul | Enrolment No. P/115/2005
Mobile: +91 94672 61222, +91 70156 13599

Enclosures: (1) Representation (Hindi and English), Ref. PT/2026/031 dated 24.10.2026; (2) Press note (Hindi).

PRAMOD TREDIYA प्रमोद तरेड़िया

Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh & District Courts, Narnaul
अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल

Enrolment No. P/115/2005 ♦ Former Municipal Councillor, Narnaul
Member, Punjab & Haryana High Court Bar Association, Chandigarh (Membership No. 14684)
Chamber: Chamber No. 70A, Lawyers' New Chambers Complex, 1st Floor, District Court, Narnaul – 123001 (Haryana)
Mobile: +91 94672 61222 | +91 70156 13599 **Email:** pramodtrediya@gmail.com

Ref. No. PT/2026/031 **Dated** 24.10.2026

By email / By post

To
The Hon'ble President of India; the Hon'ble Vice-President and Chairman, Rajya Sabha; the Hon'ble Prime Minister;
the Hon'ble Speaker, Lok Sabha; all Hon'ble Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha;
the Hon'ble Chief Ministers of all States and of the Union Territories with Legislatures (Delhi, Jammu & Kashmir, Puducherry);
the Hon'ble Speakers of the Legislative Assemblies of all States and Union Territories and the Hon'ble Chairmen of the State Legislative Councils;
the Chairpersons, Committees on Petitions, Lok Sabha and Rajya Sabha; the Hon'ble Ministers of Law & Justice, Jal Shakti and Power, Government of India; and the Law Commission of India

Subject: Request, in public interest, to declare a lifeline quantity of safe drinking water and domestic electricity a Fundamental Right and a duty of the State by inserting a new Article 21B in the Constitution, and to guarantee their supply as an essential service in all circumstances

Respected Sir/Madam,

I, Pramod Trediya, Advocate (Enrolment No. P/115/2005), practising at the Punjab & Haryana High Court, Chandigarh and the District Court, Narnaul (Haryana), and a former Municipal Councillor of the Municipal Council, Narnaul, most respectfully submit this representation on behalf of ordinary families across the country.

1. Constitutional basis. The Hon'ble Supreme Court has, in several judgments, held that access to clean drinking water is part of the right to life under Article 21, and has described electricity as a basic amenity of which a person cannot be deprived. Article 47 directs the State to improve public health, and Article 39(b) to distribute the material resources of the community to subserve the common good. Yet these rights rest only on judicial interpretation and are not expressly written into the Constitution. Just as the 86th Constitutional Amendment made education a Fundamental Right under Article 21A, water and electricity too deserve express constitutional protection.

2. Feasibility. The proposal is practical. Under the Jal Jeevan Mission, about 81 per cent of rural households in the country now have a tap connection, and Haryana has been declared a "Har Ghar Jal" State; the PM Surya Ghar scheme aims to provide up to 300 units of free solar electricity a month to one crore households; and several States already supply domestic consumers free water or electricity up to a defined limit. The framework therefore exists; what is

needed is to give it the force of a right, so that it does not depend on any particular scheme or government.

3. A recent example. On 22–23 October 2026, during a strike by power employees, Narnaul city remained without electricity for about 30 to 34 hours. As water could not be pumped, drinking-water supply to homes stopped; school children, working people and ordinary citizens could not lead a normal life for two to three days; and private tanker rates rose from Rs 300 to Rs 600. I am grateful to the Hon'ble Chief Minister of Haryana, the Deputy Commissioner and the Superintendent of Police, Mahendragarh, all Deputy Commissioners and Superintendents of Police of the State, and the leaders of the electricity employees' union, whose cooperation ended the deadlock in public interest on 23 October. Even so, the episode shows how helpless a citizen becomes without water and electricity.

4. Swaraj and the welfare State. If the people cannot access water and electricity, the State cannot call itself a welfare State. Government is the guardian of its citizens; just as parents do not deny their own child the basic necessities of life, our own government should not deny its citizens water and electricity. Every Indian should feel that this is our own self-government, our swaraj, and that our own government is duty-bound to provide a minimum quantity of water and electricity for domestic use free of cost. Just as a citizen pays no separate charge for walking on a public road or for ordinary passage, while commercial use attracts fees and tolls, every household should receive a lifeline quantity free, with charges only for consumption beyond it and for commercial use. The Union and State Governments should not take a commercial approach to these basic services. In the larger view, electricity, water, roads, education, medical care and communication should all be Fundamental Rights of citizens (education for children aged 6 to 14 already is, under Article 21A), and the beginning should be made with water and electricity.

5. Proposed text of the amendment (only a suggestion):

> **21B. Right to safe drinking water and domestic electricity.**
>
> (1) Every citizen shall have the right to receive, for domestic use, such minimum quantity of safe drinking water and of electricity as the State may, by law, determine.
>
> (2) The State shall ensure regular and uninterrupted supply of such minimum quantity, and shall, by law, provide for maintaining such supply as an essential service in all circumstances.
>
> (3) Nothing in this article shall prevent the State from levying charges for consumption beyond such minimum quantity, or for commercial, industrial or other non-domestic use.

6. I humbly request that:

1. the Government of India bring a Constitution (Amendment) Bill to the above effect, or Hon'ble Members introduce a Private Member's Bill on the subject, and that it be adopted by consensus as a national policy;
2. the Law Commission of India study and recommend the lifeline quantity, the financing arrangement and the sharing of responsibility between the Union and the States;

3. whenever employees of the electricity or water departments of any State raise demands or protest, the supply of electricity and drinking water to the public is never stopped and is guaranteed as an essential service, while employees' grievances are resolved in time through dialogue and lawful means;
4. the Committees on Petitions of the Lok Sabha and the Rajya Sabha take up this representation as a matter of general public interest; and
5. the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha, the Hon'ble Chairman of the Rajya Sabha, and the Hon'ble Speakers of all State and Union Territory Legislative Assemblies and Chairmen of the State Legislative Councils kindly take up this subject for discussion in their upcoming sessions.

7. A special request to the Hon'ble Chief Ministers. Water is a State subject and electricity a Concurrent subject, so the role of the States is decisive. You are requested to consider having a resolution passed in your Legislative Assembly in support of this amendment and, even before it is made, to ensure a lifeline supply of drinking water and electricity for domestic use to every household in your State, along with standby power for waterworks and essential services during strikes or emergencies.

8. A request to the Hon'ble Members of Parliament. You are requested to raise this subject in the House and kindly to countersign this representation as a petition and present it to the Committee on Petitions.

Water and electricity are the first necessities of life. I trust you will consider this matter of public interest sympathetically, take the necessary action and kindly inform me of the action taken.

With warm regards,
Yours faithfully,

Pramod Trediya
Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh and District Court, Narnaul
Former Municipal Councillor, Narnaul
Enrolment No. P/115/2005
Mobile: +91 94672 61222, +91 70156 13599

PRAMOD TREDIYA प्रमोद तरेड़िया

Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh & District Courts, Narnaul
अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल

Enrolment No. P/115/2005 ♦ Former Municipal Councillor, Narnaul
Member, Punjab & Haryana High Court Bar Association, Chandigarh (Membership No. 14684)
Chamber: Chamber No. 70A, Lawyers' New Chambers Complex, 1st Floor, District Court, Narnaul – 123001 (Haryana)
Mobile: +91 94672 61222 | +91 70156 13599 **Email:** pramodtrediya@gmail.com

Ref. No. PT/2026/031 **Dated** 24.10.2026

ई-मेल / डाक द्वारा

सेवा में,

माननीय राष्ट्रपति महोदया; माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति, राज्यसभा; माननीय प्रधानमंत्री;

माननीय अध्यक्ष, लोकसभा; लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यगण;

सभी राज्यों एवं विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी) के माननीय मुख्यमंत्रीगण;

सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण तथा विधान परिषदों के माननीय सभापतिगण;

सभापति, याचिका समिति, लोकसभा एवं राज्यसभा; माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, जल शक्ति मंत्री एवं विद्युत मंत्री, भारत सरकार; तथा भारत का विधि आयोग

विषय: घरेलू उपयोग हेतु न्यूनतम (जीवन-रेखा) मात्रा में सुरक्षित पेयजल एवं बिजली को संविधान में नया अनुच्छेद 21-ख जोड़कर मौलिक अधिकार एवं राज्य का दायित्व घोषित करने, तथा इनकी आपूर्ति को हर परिस्थिति में अनिवार्य सेवा के रूप में सुनिश्चित करने हेतु जनहित में निवेदन

माननीय महानुभाव,

मैं, प्रमोद तरेड़िया, अधिवक्ता (नामांकन संख्या P/115/2005), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल (हरियाणा) एवं नगर परिषद नारनौल का पूर्व पार्षद, देश के करोड़ों सामान्य परिवारों की ओर से यह निवेदन सविनय प्रस्तुत करता हूँ।

1. संवैधानिक आधार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्वच्छ पेयजल को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अंग माना है तथा बिजली को ऐसी मूलभूत सुविधा कहा है जिससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 47 राज्य को जनस्वास्थ्य सुधारने का तथा अनुच्छेद 39(ख) सामुदायिक संसाधनों का सर्वहित में वितरण करने का निर्देश देता है। किंतु ये अधिकार अभी केवल न्यायिक व्याख्या पर आधारित हैं, संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हैं। जिस प्रकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21-क में मौलिक अधिकार बनाया गया, उसी प्रकार पानी और बिजली को भी स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए।

2. व्यावहारिकता। यह माँग पूर्णतः व्यावहारिक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के लगभग 81 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँच चुका है और हरियाणा "हर घर जल" राज्य घोषित हो चुका है; प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत एक करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क सौर बिजली का लक्ष्य है; और कुछ राज्य पहले से घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क पानी या बिजली दे रहे हैं। अतः ढाँचा उपलब्ध है; आवश्यकता है इसे अधिकार का रूप देने की, ताकि यह किसी योजना या सरकार की इच्छा पर निर्भर न रहे।

3. हाल का उदाहरण। 22–23 अक्टूबर 2026 को बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान नारनौल शहर लगभग 30 से 34 घंटे तक बिजली के बिना रहा। पानी न खींचे जा सकने से घरों में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई; स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग और आम नागरिक दो–तीन दिन तक सामान्य जीवन नहीं जी सके; और निजी टैंकरों के दाम 300 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, महेंद्रगढ़ की उपायुक्त महोदया एवं पुलिस अधीक्षक, प्रदेश के सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों तथा बिजली कर्मचारी यूनियन के नेताओं का आभारी हूँ, जिनके सहयोग से 23 अक्टूबर को जनहित में गतिरोध समाप्त हुआ। फिर भी यह घटना बताती है कि पानी और बिजली के बिना नागरिक का जीवन कितना असहाय हो जाता है।

4. स्वराज और कल्याणकारी राज्य। यदि जनता को पानी और बिजली ही सुलभ न हो, तो राज्य स्वयं को कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकता। सरकार नागरिकों की अभिभावक है; जैसे माता-पिता अपने बच्चे को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं करते, वैसे ही अपनी सरकार अपने नागरिकों को पानी और बिजली से वंचित न करे। हर भारतीय को यह अनुभव होना चाहिए कि यह उसका अपना स्वराज है, और अपना शासन नागरिकों को घरेलू उपयोग के लिए न्यूनतम पानी और बिजली निःशुल्क देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जैसे सड़क पर पैदल चलने या साधारण आवागमन के लिए नागरिक से अलग शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क और टोल लगता है, उसी प्रकार हर परिवार को जीवन-रेखा मात्रा निःशुल्क मिले और उससे अधिक उपभोग तथा व्यावसायिक उपयोग पर ही शुल्क लिया जाए। केंद्र और राज्य सरकारें इन मूलभूत सेवाओं के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण न अपनाएँ। व्यापक दृष्टि से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और संचार – ये सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार होने चाहिए (6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 21-क में पहले से मौलिक अधिकार है), और इसकी शुरुआत पानी और बिजली से हो।

5. प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप (सुझाव मात्र):

> **अनुच्छेद 21-ख. सुरक्षित पेयजल एवं घरेलू बिजली का अधिकार।**
>
> (1) प्रत्येक नागरिक को घरेलू उपयोग हेतु उतनी न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित पेयजल एवं बिजली प्राप्त करने का अधिकार होगा, जितनी राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।
>
> (2) राज्य इस न्यूनतम मात्रा की नियमित एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, और ऐसी आपूर्ति को सभी परिस्थितियों में अनिवार्य सेवा के रूप में बनाए रखने हेतु विधि द्वारा व्यवस्था करेगा।
>
> (3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को उक्त न्यूनतम मात्रा से अधिक उपभोग पर, अथवा व्यावसायिक, औद्योगिक या अन्य गैर-घरेलू उपयोग पर, शुल्क लगाने से निवारित नहीं करेगी।

6. मेरा विनम्र निवेदन है कि:

1. भारत सरकार उपर्युक्त आशय का संविधान संशोधन विधेयक लाए, अथवा माननीय सांसदगण इस विषय पर निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करें, तथा इसे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जाए;
2. भारत का विधि आयोग जीवन-रेखा मात्रा, वित्त-व्यवस्था और केंद्र–राज्य दायित्व के बँटवारे पर अध्ययन कर अनुशंसा दे;
3. किसी भी राज्य में बिजली या जल विभाग के कर्मचारी जब अपनी माँगों को लेकर आंदोलन करें, तब भी जनता को बिजली और पेयजल की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो और इसे अनिवार्य सेवा के रूप में सुनिश्चित किया जाए; साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और विधिसम्मत तरीकों से समय पर किया जाए;

4. लोकसभा एवं राज्यसभा की याचिका समितियाँ इस निवेदन को जनहित के विषय के रूप में विचारार्थ ग्रहण करें;
5. माननीय अध्यक्ष, लोकसभा, माननीय सभापति, राज्यसभा तथा सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण एवं विधान परिषदों के माननीय सभापतिगण इस विषय को अपने आगामी सत्रों में चर्चा हेतु लेने की कृपा करें।

7. **माननीय मुख्यमंत्रीगण से विशेष अनुरोध।** पानी राज्य सूची का तथा बिजली समवर्ती सूची का विषय है, अतः राज्यों की भूमिका निर्णायक है। आपसे निवेदन है कि अपनी विधानसभा में इस संशोधन के समर्थन में संकल्प पारित कराने पर विचार करें, और संशोधन होने तक भी अपने राज्य में प्रत्येक परिवार को घरेलू उपयोग हेतु जीवन-रेखा मात्रा में पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति तथा हड़ताल या आपदा के समय जलघरों व आवश्यक सेवाओं हेतु वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

8. माननीय सांसदगण से अनुरोध। आपसे निवेदन है कि इस विषय को सदन में उठाएँ तथा इस निवेदन को याचिका के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित कर याचिका समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

पानी और बिजली जीवन की पहली आवश्यकता हैं। आशा है कि आप इस जनहितकारी विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे और की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

सादर,

भवदीय,

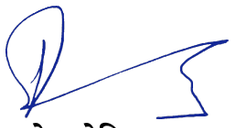

प्रमोद तरेड़िया

अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल

पूर्व नगर पार्षद, नारनौल

नामांकन संख्या (Enrolment No.) P/115/2005

मोबाइल: +91 94672 61222, +91 70156 13599

PRAMOD TREDIYA
प्रमोद तरेड़िया

Advocate, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh & District Courts, Narnaul
अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल

Enrolment No. P/115/2005 ♦ Former Municipal Councillor, Narnaul
Member, Punjab & Haryana High Court Bar Association, Chandigarh (Membership No. 14684)
Chamber: Chamber No. 70A, Lawyers' New Chambers Complex, 1st Floor, District Court, Narnaul – 123001 (Haryana)
Mobile: +91 94672 61222 | +91 70156 13599 **Email:** pramodtrediya@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

घरेलू उपयोग के लिए न्यूनतम पानी और बिजली को मौलिक अधिकार बनाया जाए

अधिवक्ता प्रमोद तरेड़िया ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सांसदों और सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर संविधान में नया अनुच्छेद 21-ख जोड़ने की माँग की

चंडीगढ़/नारनौल, 24 अक्टूबर। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय नारनौल के अधिवक्ता एवं पूर्व नगर पार्षद प्रमोद तरेड़िया ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सांसदों तथा देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर माँग की है कि घरेलू उपयोग के लिए न्यूनतम (जीवन-रेखा) मात्रा में सुरक्षित पेयजल और बिजली को संविधान में नया अनुच्छेद 21-ख जोड़कर नागरिकों का मौलिक अधिकार तथा राज्य का दायित्व घोषित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह माँग केवल घरेलू जीवन-रेखा मात्रा के लिए है; इससे अधिक उपभोग तथा व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग पर पहले की तरह शुल्क लिया जाता रहे।

तरेड़िया ने कहा कि पानी और बिजली आज जीवन की पहली आवश्यकता हैं। पीने, खाना बनाने, साफ-सफाई, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों और रोगियों की देखभाल, मोबाइल चार्ज करने से लेकर घर तक पानी पहुँचाने वाले पंप चलाने तक, हर काम इन्हीं पर निर्भर है। बिजली न हो तो पानी भी घरों तक नहीं पहुँचता, इसलिए दोनों को एक साथ संरक्षण मिलना चाहिए।

संवैधानिक आधार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अनेक निर्णयों में स्वच्छ जल को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग मान चुका है और बिजली को ऐसी मूलभूत सुविधा बताया है जिससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु यह संरक्षण अभी न्यायिक व्याख्या पर आधारित है, संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। जिस प्रकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21-क में मौलिक अधिकार बनाया गया, उसी प्रकार पानी और बिजली को भी संविधान में स्पष्ट स्थान मिलना चाहिए।

प्रस्तावित अनुच्छेद 21-ख का प्रारूप भी पत्र के साथ भेजा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को घरेलू उपयोग हेतु उतनी न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित पेयजल और बिजली प्राप्त करने का अधिकार होगा, जितनी राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे; राज्य इस न्यूनतम मात्रा की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और ऐसी आपूर्ति को सभी परिस्थितियों में अनिवार्य सेवा के रूप में बनाए रखेगा; तथा इससे अधिक उपभोग और व्यावसायिक, औद्योगिक या अन्य गैर-घरेलू उपयोग पर शुल्क लगाने का राज्य का अधिकार पहले की तरह बना रहेगा।

तरेड़िया ने कहा कि यह माँग व्यावहारिक भी है। देश में हर घर तक नल से जल पहुँचाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ा है और हरियाणा के सभी ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुँच चुके हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत छत पर सौर संयंत्र के माध्यम से एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 20 हज़ार लीटर पानी निःशुल्क मिलता है और पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि जीवन-रेखा मात्रा निःशुल्क देना संभव है। आवश्यकता इसे किसी एक योजना या सरकार की इच्छा पर छोड़ने के बजाय स्थायी अधिकार का रूप देने की है।

हाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 22–23 अक्टूबर 2026 को बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान नारनौल शहर लगभग 30 से 34 घंटे तक बिजली के बिना रहा। पानी न खींचे जा सकने से घरों में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग, बुजुर्ग, रोगी और आम नागरिक दो–तीन दिन तक सामान्य जीवन नहीं जी सके। निजी टैंकरों के दाम 300 रुपये से बढ़कर 600 रुपये तक पहुँच गए, जिसका सबसे अधिक बोझ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ा। उन्होंने कहा कि यह घटना बताती है कि पानी और बिजली के बिना नागरिक का जीवन कितना कठिन हो जाता है।

तरेड़िया ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी माँगें रखने का पूरा अधिकार है और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए। परंतु किसी भी राज्य में बिजली या जल विभाग के कर्मचारी जब अपनी माँगों को लेकर आंदोलन करें, तब भी जनता को बिजली और पेयजल की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो और इसे अनिवार्य सेवा के रूप में

सुनिश्चित किया जाए। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच नियमित संवाद की ऐसी व्यवस्था बने कि मतभेद संवाद और विधिसम्मत तरीकों से सुलझें और आम जनता को कष्ट न उठाना पड़े।

कल्याणकारी राज्य की भावना पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यदि जनता को पानी और बिजली ही सुलभ न हो, तो राज्य स्वयं को कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकता। सरकार नागरिकों की अभिभावक है; जैसे माता-पिता अपने बच्चे को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं करते, वैसे ही अपनी सरकार अपने नागरिकों को पानी और बिजली से वंचित न करे। हर भारतीय को यह अनुभव होना चाहिए कि यह उसका अपना स्वराज है, और अपना शासन नागरिकों को घरेलू उपयोग के लिए न्यूनतम पानी और बिजली निःशुल्क देने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

सड़क का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे सड़क पर पैदल चलने या साधारण आवागमन के लिए नागरिक से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क और टोल लगता है, उसी प्रकार हर परिवार को पानी और बिजली की जीवन-रेखा मात्रा निःशुल्क मिले और उससे अधिक तथा व्यावसायिक उपयोग पर ही शुल्क लिया जाए। व्यापक दृष्टि से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और संचार – ये सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार होने चाहिए, और इसकी शुरुआत पानी और बिजली से हो। उन्होंने आग्रह किया कि इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जाए और केंद्र व राज्य सरकारें इन मूलभूत सेवाओं के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण न अपनाएँ।

पत्र में भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि वह इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए, और माननीय सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विषय को संसद में उठाएँ या निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करें। सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी विधानसभाओं में इसके समर्थन में संकल्प पारित कराएँ और संविधान संशोधन होने तक अपने-अपने राज्यों में घरेलू जीवन-रेखा मात्रा में पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। पत्र की प्रति लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्षों और विधान परिषदों के सभापतियों को भी भेजी गई है, और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस विषय को अपने आगामी सत्रों में चर्चा हेतु लें। क्षेत्र के सांसद श्री धर्मबीर सिंह से भी अलग पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे लोकसभा में प्रस्तुत की जाने वाली याचिका पर प्रतिहस्ताक्षर करें अथवा इस विषय पर निजी सदस्य विधेयक लाने पर विचार करें।

तरेड़िया ने 23 अक्टूबर को गतिरोध समाप्त कर हड़ताल खत्म कराने में जनहित में किए गए सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, महेंद्रगढ़ (नारनौल) की उपायुक्त महोदया एवं पुलिस अधीक्षक, प्रदेश के सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों तथा बिजली कर्मचारी यूनियन के नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आपूर्ति बहाल हुई, अब आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति दोबारा न आए और यह अधिकार स्थायी रूप से संविधान में दर्ज हो।

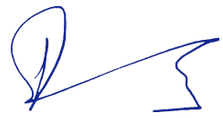

प्रमोद तरेड़िया
एडवोकेट, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं जिला न्यायालय, नारनौल
पूर्व नगर पार्षद, नारनौल
नामांकन सं. P/115/2005
मो. 94672 61222